न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2019 राजस्व अपील

1. रामावतार पुत्र जैना जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय दिनांक 28.02.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामावतार प्रकरण सं. 65/2019 अ. धारा 91 राज. लै. रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक: 07.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा में अपीलान्ट के विरूद्व एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट नें सम्वत 2075 में ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नं. 497 के रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. तलाई पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 28.02.2019 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी गै. मु. तलाई की भूमि पर ना तो कोई अतिक्रमण किया है न कोई काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया है कि किस चीज की फसल काश्त की है। जिससे यह भी स्पष्ट है कि

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 32/2019 राजस्व अपील

अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर ना तो कोई अतिक्रमण किया है न काश्त की है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 28.02.2019 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 रबी में ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नं. 497 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. तलाई पर काश्त करने एवं गै. मु. बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन स्थापित कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 28.02.2019 को बेदखल करने एवं तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में रबी की फसल काश्त कर एवं गै. मु. बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन स्थापित कर अतिक्रमण कर लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.02.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 65/2019 उनवानी सरकार बनाम रामावतार में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official